

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3262  
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना

3262. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना के तहत शेष गांवों को जल कनेक्शन प्रदान करने की समय-सीमा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में भू-जल अत्यधिक खारा और दूषित है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यहां खारे पानी को मीठा करने के लिए अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अटल भू-जल योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान बाड़मेर जिले में गिरते भू-जल स्तर को सुधारने के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उससे प्राप्त परिणाम क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): नर्मदा नहर परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से पूरी की गई है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के लिए कुल जल आवंटन 0.5 एमएएफ़ है, जिसमें से 22% शेयर पेयजल के लिए आवंटित किया गया है।

राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि बाड़मेर और बालोतरा जिलों के 1106 गांवों की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए नर्मदा नहर पर आधारित छह (06) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

**(ख) और (ग):** इस मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राजस्थान राज्य के बालमेर-बालोतरा क्षेत्रों सहित पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट - 2025 के अनुसार, बाड़मेर जिले में भूजल गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि कुछ मापदंडों का स्थानीय स्तर पर बीआईएस पेयजल सीमा से अधिक पाया गया है। बालोतरा के संबंध में, विश्लेषण से पता चला कि एकत्र किए गए और विश्लेषण किए गए नमूने में पीने के पानी के लिए बीआईएस द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत चालकता (ईसी) पाई गई, जबकि अन्य सभी विश्लेषित पैरामीटर अनुमेय सीमा के भीतर पाए गए।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि भूजल की गुणवत्ता को देखते हुए, राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को भूजल स्रोतों से हटाकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत सतही जल आधारित आपूर्ति प्रणालियों जैसे पोकरण-फाल्सूंद-बालोतरा-सिवाना जल आपूर्ति परियोजना, बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना (बीएलडब्ल्यूएसपी), नर्मदा नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना और जेजेएम के अंतर्गत ओटीएमपी योजना में स्थानांतरित कर दिया है। राजस्थान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि खारे भूजल को शुद्ध करने के लिए बालोतरा जिले में अलग-अलग समयावधि में 102 आरओ संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

**(घ):** अटल भूजल योजना एक निश्चित अवधि और परिव्यय वाली पायलट परियोजना थी, जिसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों की जल की कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया था। इस योजना ने समुदाय आधारित भागीदारी भूजल प्रबंधन की प्रभावकारिता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है और एक अनुकरणीय मॉडल प्रदान किया है जिसे अन्य राज्य भी अपने बजटीय प्रबंधों के साथ लागू कर सकते हैं। राजस्थान राज्य द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक 508.46 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

यह योजना राजस्थान के बाड़मेर जिले में लागू नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

“बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना” के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3262 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बाड़मेर और बालोतरा जिले के 1106 गांवों की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए मंजूर की गई नर्मदा नहर पर आधारित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला (गांवों की संख्या)	स्थिति
1	श्यो-रामसर तहसील के लिए नर्मदा नहर आधारित पारेषण और क्लस्टर जलापूर्ति परियोजना	बाड़मेर (217 गांव)	पूर्ण
2	जे.जे.एम के अंतर्गत तहसील श्यो और रामसर के नर्मदा नहर आधारित जे.जे.एम 217 गाँव		जारी
3	एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत नर्मदा आधारित 'एचआर' इंफ्रास गुडमलानी जल आपूर्ति परियोजना	बालोतरा (302 गांव) बाड़मेर (149 गांव)	पूर्ण
4	जे.जे.एम. के तहत जेआईसीए द्वारा वित्तपोषित राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस उपशमन परियोजना चरण II (सीपी-02) के तहत जिला बाड़मेर के सिन्धाड़ीधोरीमन्ना और बाड़मेर ब्लॉकों के 451 गांवों के लिए नर्मदा आधारित जल आपूर्ति परियोजना (पैकेज सीपी-02, एचआर-1, एचआर-2)		जारी
5	जेजेएम के तहत जेआईसीए पैकेज सीपी03-(सीएच1) के अंतर्गत 163 गांवों के लिए नर्मदा आधारित डब्ल्यूएस परियोजना	बाड़मेर (163 गांव)	कार्य आदेश
6	जेजेएम के तहत जेआईसीए पैकेज सीपी04-(सीएच2) के तहत 275 गांवों के लिए नर्मदा आधारित डब्ल्यूएस परियोजना	बाड़मेर (275 गाँव)	कार्य आदेश

\*\*\*\*\*